न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 129/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोहन पुत्र चूना, जाति–खाती निवासी–भूम्बलिया, तह.–जैतारण 2. हनुमान पुत्र पूनाराम, जाति–कुमावत निवासी–बलून्दा, तह–जैतारण 3. सीतादेवी पत्नी भाकरराम, जाति–कुमावत, निवासी–भेरुन्दा की ढ़ाणी, लाम्बिया, तहसील–जैतारणं, जिला–ब्यावर 4. तहसीलदार, जैतारण, भूमिधारी राज, सरकार		1. गजराज पुत्र बालू जाति–नाई, निवासी–भूम्बलिया, तहसील–जैतारण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम, 1963 **तारीख रजू:.04/08/2022**

उपस्थितः–

1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री श्यामलाल कंवर, सुनिल सैन, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 27/06/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त की सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 34 बीघा सरहद मौजा–भूम्बलिया, तहसील जैतारण, जिला–ब्यावर (राजस्थान) आई हुई है। गजराज ने दिनांक 23.01.2018 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सोहन के लिए तलबाना दिनांक 13.08.2019 को पेश हुए तथा उक्त प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2019 को तामिली रिपोर्ट माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष होने से दिनांक 27.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सोहन पुत्र चूना के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) हनुमान व अप्रार्थीया संख्या 3 (तीन) गीतादेवी के खिलाफ उक्त अनवान के प्रकरण में दिनांक 13.03.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थीगण कभी भी माननीय न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि अप्रार्थीगण को कानूनी जानकारी नहीं है । अप्रार्थीगण अनपढ़ व वृद्ध व्यक्ति व महिला है। उक्त अनवान के प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण

कार्यवाही की जाकर प्रार्थी गजराज के पक्ष में संशोधित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2021 को पारित किया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सोहन को तारीख पेशी दिनांक 27.08.2019 का व अप्रार्थी संख्या 2 (दो) व 3 (तीन) को तारीख पेशी दिनांक 13.03.2018 का ज्ञान ही नहीं था। दिनांक 22.06.2022 को आर.आई. व हल्का पटवारी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2021 की पालना में मौके पर आकर अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ता कायम करने की कार्यवाही की जाकर मौके पर अप्रार्थीगण की जोत में, प्रार्थी गजराज की जोत में जाने का रास्ता खोल दिया गया, जिस पर अप्रार्थीगण ने आर.आई. व पटवारी को रास्ता किस आदेश से खोलने के बारे में पूछने पर आर.आई. व पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण को बताया गया कि आपके खिलाफ दिनांक 03.08.2021 को आदेश पारित हुआ है तथा प्रार्थी गजराज को आपकी जोत से होकर अपनी जोत में जाने का रास्ता कायम किया जा रहा है। मौके पर आर.आई. तथा पटवारी द्वारा रास्ता कायम किया जाकर रास्ता की जमीन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 34 बीघा सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण में से 13 बिस्वा कम की जाकर रास्ते में अमल दरामद की गई। उक्त सारी कार्यवाही की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं थी, अप्रार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त आदेश दिनांक 03.08.2021 की जानकारी आर.आई. व पटवारी द्वारा बताने पर दिनांक 22.06.2022 को हुई। अप्रार्थीगण दिनांक 24.06.2022 को माननीय न्यायालय हाजा में आकर जानकारी ली तो पता चला कि अप्रार्थीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक पक्षीय निर्णय व आदेश दिनांक 03.08. 2021 पारित किया गया । अप्रार्थीगण उसी दिनांक 24.06.2022 को उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा उक्त अनवान की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थीगण को दिनांक 29.06.2022 को प्राप्त हुई, जिस पर अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के बारे में निर्णय व आदेश की जानकारी हुई । अप्रार्थीगण उक्त निर्णय व आदेश से व्यथित है। अप्रार्थीगण बिल्कुल अनपढ़ व वृद्ध व्यक्ति व महिला है, जिनको दिनांक 13.03.2018 व दिनांक 27.08.2019 की तारीख पेशी का ज्ञान नहीं था, माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.03.2018 व दिनांक 27.08.2019 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थीगण को दिनांक 29.06.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.08.2021 को पारित किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 सोहन पुत्र चूना, अप्रार्थी सं. 2 हनुमान पुत्र पूनाराम कुमावत व अप्रार्थीया सं. 3 गीतादेवी पत्नी भाकरराम की ओर से प्रार्थना प[illegible] आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी-1908 का [illegible] निवेदन है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार [illegible]हित में [illegible]ने जाने के अधिकार के अन्तर्गत उक्त अनवान के प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध पारित एक पक्षीय निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2021 तथा एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.03.2018 व दिनांक 27.08.2019 को अपास्त किया जाकर आगामी कार्यवाही के वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण द्वारा दिए जाने हेतु आदेश न्यायहित में फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए सम्मन वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र तलब किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत व बेबुनियाद व प्रकरण को लम्बा करने की नियत से लिखे गये है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 सोहन की प्रोपर तामिल, तामिल सवार द्वारा करवाकर न्यायालय हाजा में दिनांक 27/08/2019 को पेश कर दी, जिस पर न्यायालय हाजा ने अप्रार्थी संख्या 01 को बार-बार आवाजे लगाई व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 3 गीतादेवी की प्रोपर तामिल तहसील कार्यालय के सवार द्वारा करवाई जाकर बाद तामिल की रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश कर दी गई। न्यायालय द्वारा सम्मन जारी होने के पश्चात तहसील कार्यालय के सवार द्वारा अप्रार्थीगण को सम्मन का नोटिस देकर प्रोपर तामिल करवाई जाकर तहसील सवार ने यह भी कहा कि यह नोटिस कोर्ट द्वारा आया है, आपको कोर्ट में आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होना है उसके बावजुद भी अप्रार्थीगण ने जानबुझकर अनपढ व वृद्ध होने का बहाना बनाकर रास्ता नहीं देने की नियत से यह प्रार्थनापत्र न्यायालय मे पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 13/03/2018 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रोपर तामिल देखने के बाद बार-बार आवाजे लगाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु की गई। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित संशोधित आदेश व निर्णय दिनांक 03/08/2021 को पारित किया गया जो आदेश व निर्णय विधिसम्मत् किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 सोहन, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को न्यायालय से रास्ते बाबत् मुकदमा/प्रार्थनापत्र की सम्पूर्ण जानकारी थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 को तारीख पेशी दिनांक 27/08/2019 तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को तारीख पेशी दिनांक 13/03/2018 का पूर्ण ज्ञान था, उसके बावजूद भी न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं होकर रास्ता नहीं देने की बदनियति के चलते न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रस्तुत नहीं हुये। न्यायालय हाजा द्वारा सही तामिल होने के बाद एकतरफा कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत् है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि इस पद में वर्णित निर्णय व आदेश दिनांक 03/08/2021 की पालना मौके पर माफिक आदेश व हल्का पटवारी अन्तर्गत धारा 251 क राज0काश्त0अधि01955 रास्ता कायम करने की कार्यवाही की जाकर मौके पर अप्रार्थीगण के खेत में प्रार्थी गजराज के खेत में जाने का रास्ता खोल दिया है जिस पर दिनांक [illegible]/06/2021 को मौके पर फर्द बनाई गई जिस पर अप्रार्थीगण व उनके प्रतिनिधि ने रास्ता नहीं देने की बदनियति के चलते फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया जबाब प्रार्थनापत्र के साथ मौका फर्द रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत व रास्ता नहीं देने की नियत से लिखे गये है जबकि अप्रार्थीगण की प्रोपर तामिल तहसील कार्यालय के तामिल कुन्निदा द्वारा की जाकर उसकी रिपोर्ट न्यायालय मे पेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

गई है। अप्रार्थीगण जानबुझकर रास्ता नहीं देने की नियत से न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए है जिसके कारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय व आदेश दिनांक 03/08/2021 को पारित किया गया जो आदेश विधिसम्मत् व न्यायपूर्ण है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या आठ का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद, रास्ता नहीं देने की नियत से लिखे गये है जबकि अप्रार्थी वृद्ध होना व महिला होने के तथ्य सही है लेकिन उनके अनपढ होने के तथ्य बिल्कुल गलत लिखे गये है अप्रार्थीगण साक्षर अवश्यक है जो पढना लिखना जानते है अप्रार्थीगण द्वारा सम्मन पर हस्ताक्षर किये गये। इसलिए अप्रार्थीगण की प्रोपर तामिल हुई है न्यायालय हाजां ने भी प्रोपर तामिल देखकर बार बार आवाजे लगाकर एकतरफा कार्यवाही की है तथा उसके बाद न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाने के बाद बहस अंतिम सुनकर न्यायालय द्वारा आदेश व निर्णय दिया गया है तथा न्यायालय के आदेश अनुसार डी एल सी रेट के माफिक रुपये जमा करवाये गये व उसके बाद आर आई व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर फर्द मौका बनाई गई तथा आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में भी रास्ता का इन्द्राज किया जाकर मौके पर रास्ते का नापचौप कर पत्थरगड्डी कर रास्ते के दोनों तरफ तारबन्दी कर रास्ता मौके पर आवागमन हेतु सुचारू किया गया जो वर्तमान मे भी आगवामन हेतु उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे रास्ता नहीं देने की नियत से तमाम तथ्य गलत लिखे है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विशिष्ट खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमाया जावे।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी तथा सुनकर उस पर मनन किया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का बिन्दुवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. अप्रार्थी गजराज ने दिनांक 23.01.2018 को प्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय हाजा में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.03.2018 को तामिली रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त होने के बावजूद प्रार्थी संख्या 02 हनुमान व प्रार्थीया 03 गीतादेवी उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 27.08.2019 को तामिली रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त होने के बावजूद प्रार्थी संख्या 01 सोहन पुत्र चूना उपस्थिति नहीं हुए लिहाजा अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण द्वारा अनपढ व वृद्ध व्यक्ति व महिला होने तथा कानून की जानकारी नहीं होने के कारण धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र के निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2021 तथा एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.03.2018 व दिनांक 27.08.2019 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:18 IST
Reason: Self Attested

2. अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि दिनांक 13.03.2018 व दिनांक 27.08.2019 को प्रकरण में न्यायालय द्वारा बार-बार आवाजें लगाकर अप्रार्थीगण को बुलाया

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

गया। परन्तु किसी के उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र के निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2021 विरूद्ध प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज हुआ। प्रार्थीगण जानबुझकर अनपढ व वृद्ध होने का बहाना बनाकर रास्ता नहीं देने की नियत से हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया। अतः अप्रार्थीगण कार्यवाही काबिल खारिज होने से खारिज करने का निवेदन किया गया।

3. आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्न प्रावधान है–

"प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, व प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा व डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ;

परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि वह केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादीयों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी ;

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।"

मूल प्रार्थना पत्र की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी 02 व 03 के अनुपस्थित रहने से दिनांक 13.03.2018 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 के अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.08.2019 को इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः मूल प्रार्थना–पत्र की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मूल प्रार्थना–पत्र में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिये गये परन्तु उन[illegible] जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी [illegible] 01 को [illegible] सचार द्वारा दिनांक 27.08.2019 को करवाकर न्यायालय में पेश की बावजूद सूचना सम्मन के अनुपस्थित रहे जिससे इनके [illegible]ाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

4. साथ ही आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. के अन्तर्गत एकपक्षीय डिक्री को उसी दशा में अपास्त की जाती है जबकि किसी प्रतिवादी के विरूद्ध सम्मन की तामील सम्यक् रूप से नहीं हुई हो या व युक्तियुक्त कारणों से उपसंजात होने में असमर्थ रहा हो। पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मंसुख कर उन्हें प्रार्थना पत्र का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था परन्तु प्रार्थीगण द्वारा वाद की कार्यवाही के प्रति गंभीरता का अभाव, उदासीनता व लापरवाही को दर्शित करते हुए तारीख पेशी पर बार-बार आवाजे देने के बाद भी अपनी उपस्थिति/वकालतनामा/जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः हस्तगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रकरण संख्या 23/2018 अनवान गजराज बनाम सोहन वगैरह के संबंध में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. भली-भांति साबित न होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना विधिसंगत व उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पदेनतारण
(जिला-अलवर)

निर्णय आज दिनाँक 27/06/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पदेनतारण
(जिला-अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested